यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल लेखापरीक्षित इकाई से संबन्धित मई 2019 से फरवरी 2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार श्रीवास्तव एवं श्री रवि प्रकाश पाठक, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.03.2021 से 25.03.2021 तक श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1- **परिचयात्मक:-** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव एवं श्री रवि प्रकाश पाठक,, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक **13.05.2019** से **20.05.2019** तक श्री सुनील कल्ला**,** वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2017 से **04/2019** तक लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में **माह 05/2019 से 02/2021** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कुमाऊँ परिक्षेत्र, नैनीताल।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2016-17	-	1842.91	1774.85	-	68.06
2017-18	-	637.70	499.54	-	138.16
2018-19	-	1765.51	1441.77	-	323.74

वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में वेतन एवं भत्ते सम्मिलित नहीं है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2016-17	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

इकाई को बजट आवंटन (केंद्र एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल की श्रेणी (अ) है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त गढ़वाल मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में उत्तराखण्ड गढ़वाल परिक्षेत्र एवं अनुपालन लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं प्रतिवेदन **कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु माह 03/20 एवं 07/20 को चयनित किया गया। उपरोक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर 01- अवैध भंडारण पाये जाने पर पुनः पैमाइश शीघ्र न कराया जाना।

उत्तराखण्ड शासन औधोगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 96/VII-1/2016/158-ख/2004 दिनांक 22 जनवरी 2016 द्वारा खनिजों के भंडार हेतु उत्तराखण्ड राज्य को तीन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। शासनादेश संख्या 842/VII/1/2015/24ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 के अनुसार नैनीताल के कुछ भाग को छोडकर द्वितीय भाग मध्य पर्वतीय क्षेत्र में रखा गया है जिसकी रायल्टी दर ₹ 8 प्रति कुंतल अर्थात ₹ 176 प्रति घनमीटर की दर से निर्धारित की गयी थी। आगे अवैध भण्डारण करने पर रायल्टी का 5 गुना एवं ₹ 02 लाख पैनल्टी का प्रावधान किया गया है।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्न भण्डारणकर्ताओं द्वारा अवैध भण्डारण पाये जाने पर नोटिस तामील होने के काफी दिनों बाद अवैध भण्डारण का पुनः पैमाईस कराने का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसका कोई औचित्य नहीं था।

क्र.सं.	**भण्डारण कर्ता**	**निरीक्षण की दिनांक**	**अवैध भण्डारण की मात्रा घनमीटर**	**अर्थदण्ड की धनराशि**
1.	बाजपुर स्टोन क्रेशर गैबुआ तह कालाढूगी	12.02.2019	1850	18,28,000
2.	मो.सफी खुशालपुर लामपुर लच्छी तह. रामनगर	29.01.2019	1515	15,33,200
3.	श्री नसीम अहमद चिल्किया तह. रामनगर	13.06.2019	756	8,65,280
4.	श्री गोपालसिंह उदपुरी वंदाबस्ती तह. रामनगर	13.06.2019	12628	1,13,12,640
5.	श्री मुजफ्फर चिल्किया तह. रामनगर	13.06.2019	138	3,21,440
6.	श्री नारायण दास उदयपुरी बंदाबस्ती तह. रामनगर	13.06.2019	7878	71,32,640
7.	जय श्रीराम स्टोन क्रेशर तह. हल्द्वानी	03.10.2019	12805.43	56,42,308
8.	विन्ध्यावासिनी क्रेशर तह. हल्द्वानी	04.10.2019	4418.8	20,78,007

उक्त अवैध भण्डारण पाये जाने पर भण्डारण को सील नहीं किया गया था। अवैध भण्डारण पाये जाने पर पैमाईस करने पर भण्डारणकर्ता के हस्ताक्षर नहीं कराये जाते है जिससे वह अवैध भंडारण पर लगाया गया अर्थदण्ड को नोटिस प्राप्त करने पर पुनः पैमाईस कराने का प्रार्थना पत्र देता है, और कई महीने व्यतीत होने पर अवैध भंडारण से उपखनिज न हटाये जाने की पुष्टि कभी नहीं हो सकती। इसलिए अवैध भंडारण पर अर्थदण्ड का सही आंकलन पुनः पैमाईस कराने पर नहीं हो सकता।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा पुनः पैमाईश कराकर लेखापरीक्षा को अवगत कराने का आश्वासन दिया गया।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भंडारण सीज नहीं किया गया इसलिए 15 से 24 माह व्यतीत होने पर अवैध भंडारण का पुनः पैमाइश किया जाना तर्कसंगत नहीं है।

अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर 02- अवैध खनन के अर्थदण्ड की वसूली न किया जाना ₹ 63.40 करोड़।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 96/VII-1/2016/158-ख/2004 दिनांक 22 जनवरी 2016 द्वारा खनिजों के भंडार हेतु उत्तराखण्ड राज्य को तीन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। शासनादेश संख्या 842/VII-1/2015/24ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 के अनुसार नैनीताल के कुछ भाग को छोड़कर द्वतीय भाग मध्य पर्वतीय क्षेत्र में रखा गया है जिसकी रायल्टी दर ₹ 8 प्रति कुंतल अर्थात अर्थात ₹ 176 प्रति घनमीटर कि दर से निर्धारित की गयी थी। आगे अवैध भण्डारण करने पर रायल्टी का 5 गुना एवं ₹ 02 लाख पैनल्टी का प्रावधान किया गया है।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के सी.आर.ए. अनुभाग जो जनपद में समस्त आर सी निर्गत करके वसूली संबंधी कार्यों का निष्पादन करता है, जिससे शासकीय धनराशि राज्य को यथासमय प्राप्त करायी जा सके। जिलाधिकारी कार्यालय के सी०आर०ए संबंधी अनुभाग द्वारा खनन सम्बन्धी वसूली से सम्बन्धित प्रदत्त सूचना की जांच में पाया गया कि जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल के अंतर्गत अप्रैल 2017 से लेखापरीक्षा तक खनन की बाकाया धनराशि निम्नानुसार दर्शायी गयी हैः-

वर्ष	**शुद्ध मांग**	**वसूली**	**अवशेष**
2017-18	2633130	2429530	203600
2018-19	3588280	3403780	184500
2019-20	10822150	4692888	6129262
2020-21	5510182	3214880	2295302

खनन अनुभाग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार अवैध भण्डारण से सम्बन्धित वसूली निम्नानुसार दर्शायी गयी हैः-

वित्तीय वर्ष	**पकडे गये अवैध खनन के प्रकरण की संख्या**	**अवशेष अवैध खनन के प्रकरण की संख्या**	**अवशेष वसूली हेतु धनराशि**
2017-18	97	51	145788985
2018-19	67	49	169155198
2019-20	75	68	210107202
2020-21	40	36	108902431
योग	**279**	**204**	**633953815**

उक्त सी०आर०ए अनुभाग के अभिलेखों तथा एवं खनन अनुभाग के अभिलेखों के वसूली की राशि में वृहद मात्रा में भिन्नता पायी गयी। खनन अनुभाग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक कुल ₹ 633953815/- हेतु बकाया पायी गयी थी। जबकि सी०आर०ए अनुभाग के अनुसार मात्र ₹ 2295302/- दर्शायी गयी था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों एवं आंकडो की पुष्टि करते हुए अवशेष समस्त धनराशि यथाशीघ्र आर.सी. निर्गत कराकर वसूली करके लेखापरीक्षा को सूचित करने का आश्वासन दिया गया।

विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा अवैध खनन के प्रकरण में कोई भी भण्डारण स्थल सीज नहीं किया गया और न ही आर०सी० निर्गत की गयी थी। जिसके परिणामस्वरुप ₹ 63.40 करोड़ की वसूली विभाग द्वारा नहीं की गयी थी।

अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 01- लबित वसूली ₹ 213.16 लाख।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के विविध देय वसूली संबंधी अभिलेखों की जांच (मार्च-2021) में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि ₹ 209.16 लाख की वसूली एवं वसूली राशि पर संग्रह व्यय की धनराशि ₹ 4.00 लाख की वसूली संप्रेक्षा अवधि तक नहीं की गयी थी।

विविध देय वसूली से सम्बन्धित विवरण जनपद- नैनीताल।

वित्तीय वर्ष तक	आर.सी. की धनराशि	वसूल की गई धनराशि	वसूल हेतु अवशेष धनराशि
2018-19	140980371	127064092	13916279
2019-20	178298763	134928943	43369820
2020-21	124971181	104054610	20916571

वित्तीय वर्ष	प्राप्त आर.सी. की धनराशि	आर. सी. पर संग्रह व्यय	आर.सी. पर वसूल की गई धनराशि पर संग्रह व्यय की अवशेष धनराशि
2018-19	43750000	4375000	-
2019-20	14230000	1423000	-
2020-21	17882200	1788220	400000

उपरोक्त के संबंध में इंगित किया जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष धनराशि ₹ 213.16 लाख (₹ 209.16 लाख + ₹ 4.00 लाख) की लंबित वसूली के निस्तारण हेतु तहसीलों को निर्देशित किया जाएगा।

कार्यालय के उत्तर में स्वतः स्पष्ट है कि जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में धनराशि ₹ 213.16 लाख की धनराशि लंबित है।

अतः लंबित वसूली ₹ 213.16 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 02- भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत गृह/भवन अनुदान ₹ 35.50 लाख का वितरित धनराशि का सत्यापन न कराया जाना।

वर्ष 2015-20 तक की अवधि के लिये राज्य आपदा मोचन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता हेतु मदों एवं मानकों के पुनर्निर्धारण के अन्तर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश/पंत्राक 32-7/2014/NDM-1 दिनांक 08.04.2015 के आदेश की क्रम संख्या-9 में भवन के क्षतिग्रस्त श्रेणी के आधार पर लाभार्थी को प्रदान की गयी सहायता के उपरांत भवन स्वामी/लाभार्थी द्वारा राशि प्रयोग किये जाने के उपरांत क्षतिग्रस्त भवन का अधिकृत निर्माण होने का सत्यापन राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल के अभिलेखों की जांच (मार्च-2021) में पाया गया कि कार्यालय द्वारा वर्ष 2018-19 से 2020-21 में राज्य सरकार आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से पूर्णतः एवं आंशिक क्षतिग्रस्त भवनों के पुनर्निर्माण हेतु जिले की 8 तहसीलों के अन्तर्गत आने वाले पात्र लाभार्थी को ₹ 35.50 लाख (वर्ष 2018-19 में ₹ 18.39 लाख, वर्ष 2019-20 ₹ 5.81 लाख तथा वर्ष 2020-21 में ₹ 11.30 लाख) के वितरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा तहसीलों को धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी।

आगे जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय में उपरोक्त विषयक धनराशि वितरण के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरुप लाभार्थी द्वारा धनराशि प्रयुक्त होने के उपरांत भवन निर्माण का अधिकृत सत्यापन राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं कराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप धनराशि के वास्तविक उद्देश्य हेतु उपयोग की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी थी।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि तहसीलों को भवन क्षति हेतु दिये गए गृह अनुदान की धनराशि वितरण के उपरांत उसकी उपयोगिता एवं निर्माण कार्य के सत्यापन हेतु निर्देशित किया जायेगा।

अतः भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत भवन क्षति हेतु वितरित ₹ 35.50 लाख की धनराशि के वास्तविक उद्देश्य हेतु उपयोग की सत्यता प्रमाणित न किये जाने का प्रकरण शासन से संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 03- किये गये कार्य में गुणवत्ता की कमी।

शासनादेश संख्या 663/XXVIII-(2)/19-4(14)2015 दिनांक 30 अप्रैल 2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य आपदा मोचन निधि में 500 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी। इस क्रम में नैनीताल नगर के राहत एवं बचाव कार्यों के दृष्टिगत प्रमुख नालों झील के संवेदन स्थानों में संचार उपकरणों/सी सी टी वी कैमरों के माध्यम से Real Time Monitoring and Supervision सम्बन्धित कार्य का आगणन रु 15.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 20.08.2019 को प्रदान की गयी थी। इस कार्य हेतु दिनांक 19.09.2019 को रु 15.00 लाख Ex.ENGG.(E/M) RURAL WORKS DEPTT. को भुगतान कर दिया गया था।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य दिनांक 30 दिसम्बर 2019 से पूर्व होने के उपरान्त उक्त कार्य का संयुक्त निरीक्षण हुए मानक गुणवत्ता के संबंध मे आख्या मांगी गयी थी, जिसके अनुसार दिनांक 30.12.2019 से 02.01.2020, 10.01.2020 से 13.01.2020 एवं 21.01.2020 से आतिथि (27 जनवरी 2020) तक सुचारु रुप से कार्य नहीं कर रहे थे। इस सम्बन्ध में दिनांक 14.12.2020 को भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग को पत्र लिखा गया जिसमें सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए CCTV कैमरों का सुचारू संचालन करने हेतु कहा गया था। जो की लेखापरीक्षा तिथि तक पूर्ण रुप से संचालित नहीं थे।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि CCTV कैमरों की परियोजना हेतु कार्यालय स्तर से नियमित पत्राचार किया जा रहा है। दंडात्मक कार्यवाही के संबंध में अधिशासी अभियन्ता ग्राणीण निर्माण विभाग को पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 04- अवैध भंडारण पर अर्थदण्ड की गणना त्रुटिपूर्ण किया जाना ₹ 128700/-

उत्तराखण्ड शासनादेश औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 96/VII-1/2016/158-ख/2004 दिनांक 22 जनवरी 2016 द्वारा खनिजों के भंडार हेतु उत्तराखण्ड राज्य को तीन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। शासनादेश संख्या 842/VII-1/2015/24ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 के अनुसार नैनीताल के कुछ भाग को छोड़कर द्वितीय भाग मध्य पर्वतीय क्षेत्र में रखा गया है जिसकी रायल्टी दर ₹ 8 प्रति कुंतल अर्थात ₹ 176 प्रति घनमीटर की दर से निर्धारित की गयी थी। आगे अवैध भण्डारण करने पर रायल्टी का 5 गुना एवं ₹ 02 लाख पैनल्टी का प्रावधान किया गया है।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि श्री बलविन्दर सिंह पुत्र श्री सन्तोक सिंह पार्टनर पुरेवाल स्टोन क्रेशर ग्राम वीरपुर लच्छी तहसील रामनगर जिला नैनीताल का निरीक्षण दिनांक 09.04.2020 को करने पर 2574 टन अवैध भण्डारण पाया गया जिस पर विभाग द्वारा रु 1100900/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया था, जबकि देय रायल्टी की धनराशि रु 1029600/- (2574x8ox5) इसके अलावा ₹ 200000 अर्थदण्ड कुल मिलाकर ₹ 1229600/- जमा किया जाना अपेक्षित था, किन्तु विभाग द्वारा ₹ 128700/- (1229600-1100900) कम आरोपित किया गया था।

उक्त स्टोन क्रेशर का अपर जिलाधिकारी भण्डारण स्थल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 16.11.2019 को किया गया था जिसमें 2139.62 घनमीटर अवैध भण्डारण पाया गया था। जिस पर ₹ 2082865/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया था।

इस प्रकार पुरेवाल स्टोन क्रेशर पर ₹ 3312865/- (1229600+2082865) लेखापरीक्षा तिथि कर जमा नहीं है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरान्त कार्यावाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 05- अर्थदण्ड की धनराशि बैंक में जमा न किया जाना ₹ 9.70 लाख।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 दिनांक 23 अगस्त 2006 के अनुसार बिन्दु संख्या 50 से 64 तक के लिए लगाये गए अर्थदण्ड की धनराशि को अगले कार्य दिवस को शासकीय खाते में जमा किया जायेगा।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गए जुर्माने की धनराशि (माह मई 2019 से फरवरी 2021 तक) ₹ 903000/- पायी गयी थी। जबकि बैंक पासबुक के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 08.03.2019 को प्रारम्भिक शेष ₹ 916852/- दिनांक 08.03.2021 को अन्तिम शेष ₹ 1089441/- था। इस धनराशि में बैंक द्वारा दिया गया ₹ 67589/- ब्याज भी शामिल है।

उक्त से स्पष्ट है कि बैंक पासबुक में ₹ 1887441/- (916852+67589+903000) जमा होना अपेक्षित था। इस प्रकार ₹ 970489/- (1887441-903000) पासबुक में कम जमा पाया गया।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों एवं आंकडो की पुष्टि करते हुए चालानों के अवशेष समस्त धनराशि यथाशीघ्र बैंक में जमा कराकर लेखापरीक्षा को सूचित करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	**भाग दो -"अ"प्रस्तर संख्या**	**भाग दो -"ब" प्रस्तर संख्या**	**पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0**
01/2012-13	शून्य	01	शून्य
43/2014-15	शून्य	01,02	शून्य
29/2017-18	शून्य	01	शून्य
04/2019-20	शून्य	01,02,03,04,05,06	01

(ब) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेषण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-01/2012-13	**<u>भाग-II 'ब' प्रस्तर-01</u>** **पटवारी चौकियों का हस्तान्तरण न किया जाना।**	अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सम्प्रेक्षा को प्रेषित किया जायेगा		
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-43/2014-15	**<u>भाग-II 'ब' प्रस्तर-1</u>** **(a)** धनराशि रु.68.98 लाख का अवरोधन। **(b)** रु.23.03 लाख की धनराशि विगत 10 वर्षों से निर्माण इकाई के पास अवरूद्ध रखा जाना। **<u>भाग-II 'ब' प्रस्तर-2</u>** अग्रिम धनराशि रु.182326 का समायोजन न किया जाना।	अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सम्प्रेक्षा को प्रेषित किया जायेगा अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सम्प्रेक्षा को प्रेषित किया जायेगा		
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-29/2014-15	**<u>भाग-II 'ब'</u>** **प्रस्तर-1** रु. 496.84 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना।	अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सम्प्रेक्षा को प्रेषित किया जायेगा		

सा.क्षे./ले.प.प्रति.-4/2019-20	**<u>भाग-II 'ब'</u>** **<u>प्रस्तर 1</u>** - उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन कर, बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए, ट्रैवल एजेन्सी का चयन कर भुगतान किया जाना धनराशि रुपए 32.14 लाख । **<u>प्रस्तर 2</u>** :- दैवी आपदा एवं मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत वितरित धनराशि रू 12.35 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना। **<u>प्रस्तर 3</u>:** -_PLA खाते मे 3 वर्षो से संचालन न होने के उपरांत भी उक्त राशि को शासन को समर्पित न कर एवं PLA खाते को बंद न कर निधियों का अवरोधन ₹ 3.26 लाख। **<u>प्रस्तर 04-</u>** लंबित वसूली रू 152.07 लाख। **प्रस्तर 5** - राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-87 हेतु भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष अधिग्रहित भूमि के लंबित मुआवजे धनराशि रुपए 12.01 करोड़ को लाभार्थियो को प्रदान न किया जाना। **प्रस्तर- 06** ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 38.60 लाख के राजस्व की हानि। **STAN** **<u>प्रस्तर 1:-</u>** भारत सरकार के निर्देशो के विपरीत गृह/भवन अनुदान हेतु रू 48.20 लाख की वितरित धनराशि का सत्यापन न कराया जाना।	अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सम्प्रेक्षा को प्रेषित किया जायेगा		

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ---------- शून्य ----------

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः --- ---------- **शून्य**

सतत् अनियमितताएः -- - ---------- ----शून्य --

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

क्रंम संख्या	नाम	पद नाम	कार्यकाल अवधि
1.	श्री विनोद कुमार सुमन	जिलाधिकारी	25.03.2018 से 29.06.2019
2.	श्री सविन बन्सल	जिलाधिकारी	29.06.2019 से 09.02.2021
3.	श्री धीराज सिंह गर्बियाल	जिलाधिकारी	09.02.2021 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार/ (ए.एम.जी.-III) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून** को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / ए.एम.जी.-III